भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3020
उत्तर देने की तारीख: 18.03.2026

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध

3020. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश के भिंड में एक दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है;
(ख) वर्ष 2023 और 2024 के दौरान देश में अनुसूचित जातियों के प्रति दर्ज अपराधों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) 2023 और 2024 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों में राज्य-वार दोषसिद्धि दरें क्या रही हैं; और
(घ) अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कोई नीतिगत सुधार या वित्तीय वृद्धि करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): जी हां। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। वे कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

(ख) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति दर्ज किए गए मामलों के संबंध में आंकड़े रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में

अपराध' में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिर्पोटें वर्ष 2023 तक उपलब्ध हैं। 2023 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध/अत्याचार के तहत दर्ज अपराधों की राज्यवार संख्या और दोषसिद्धि दर **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, आम व्यक्तियों में अपने अधिकारों और सरकार द्वारा उनके मौलिक मानवाधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में बढ़ती जागरूकता; पुलिस तक बेहतर पहुंच और जवाबदेही; पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित और जागरुक करने; तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में वर्ष 2015 में किए गए संशोधन (जो 26 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुआ) और वर्ष 2018 के संशोधनों के माध्यम से नए अपराधों को जोड़ने जैसे कारकों के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग में सुधार हुआ है।

अनुलग्नक-I

इस अनुलग्नक का संदर्भ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3020 से है। वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों/अत्याचारों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले (सीआर), दोषसिद्धि वाले मामले (सीओएन) और दोषसिद्धि दर (सीवीआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	सीओएन	सीवीआर
1	आंध्र प्रदेश	2027	27	3.1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	
3	असम	5	0	
4	बिहार	7064	180	30.1
5	छत्तीसगढ़	250	76	44.7
6	गोवा	4	0	0.0
7	गुजरात	1373	46	7.4
8	हरियाणा	1539	68	19.3
9	हिमाचल प्रदेश	229	15	10.6
10	झारखंड	604	36	28.6
11	कर्नाटक	1923	24	2.2
12	केरल	1128	110	13.5
13	मध्य प्रदेश	8232	1055	21.6
14	महाराष्ट्र	3024	88	8.9
15	मणिपुर	0	0	
16	मेघालय	0	0	
17	मिजोरम	0	0	
18	नागालैंड	0	0	
19	ओडिशा	2696	2	0.4
20	पंजाब	116	6	14.0
21	राजस्थान	8449	1560	61.4
22	सिक्किम	0	0	
23	तमिलनाडु	1921	115	12.2
24	तेलंगाना	1709	36	4.2
25	त्रिपुरा	0	0	
26	उत्तर प्रदेश	15130	2990	65.6
27	उत्तराखंड	102	8	66.7
28	पश्चिम बंगाल	102	1	2.7
	कुल राज्य	**57627**	**6443**	**31.9**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	
30	चंडीगढ़	3	1	100.0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	0	
32	दिल्ली	128	30	33.0
33	जम्मू-कश्मीर	26	0	
34	लद्दाख	0	0	
35	लक्षद्वीप	0	0	
36	पुडुचेरी	4	0	
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**162**	**31**	**33.7**
	कुल (अखिल भारतीय)	**57789**	**6474**	**31.9**
स्रोत: भारत में अपराध				

नोट: दोषसिद्धि दर = दोषसिद्धि वाले मामले/ऐसे मामले जिनमें मुकदमे पूरे हो गए X 100
